1 तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज **निगरानी./एल.आर./4960/2005/भरतपुर** **रोशन बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.05.2017	**एकल पीठ** **श्री महावीर सिंह, सदस्य** **उपस्थिति–** श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता प्रार्थी श्री वी0पी0 सिंह राजावत, राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी **निर्णय** हस्तगत निगरानी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम,1956) की धारा 84, सहपठित धारा 9, के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर अपील संख्या 89/2005 शीर्षक रौशन बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 23–9–2005 के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस निगरानी पर सुनी गई। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में निवेदन किया कि साबिक खसरा नं0 1/99–1 वाकै घना गिरसे में से रकबा 4.10 बीघा राज्य सरकार के आदेश दिनांक 29–12–1966 की पालना में उप जिलाधीश, भरतपुर द्वारा प्रार्थी को निःशुल्क विनिमय किया गया। बंदोबस्त में नवीन खसरा नं0 43/9.13 बीघा को साबिक खसरा नं0 1, 3 व 4 की भूमि से बनाया गया है और नवीन नं0 43/9.13 बीघा में अपीलांट की नियमनशुदा रकबा 0.72 है0 शामिल किया गया है। निर्णय दिनांक 30–4–1986 उपखण्ड अधिकारी, डीग के आधार पर अपीलांट के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 8 बाबत हिस्सा 72/913 खसरा नं0 43/9.13 के लिए दर्ज कर तहसीलदार, डीग के समक्ष पेश हुआ, जिसे दिनांक 02–6–1989 को अविधिक रूप से निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध अतिरिक्त जिलाधीश, डीग के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसे निर्णय दिनांक 28–2–2003 से अविधिक रूप से खारिज किया गया और अधीनस्थ द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने भी निर्णय दिनांक 23–9–2005 से इस निर्णय अविधिक रूप से पुष्ट किया है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय को इस बिन्दु पर विधिवत रूप से गौर करना चाहिए था कि नियमन दिनांक 25–7–1972 से प्रार्थी का प्रश्नगत भूमि पर निर्बाध व निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। नामान्तरकरण दर्ज करने की जिम्मेदारी संबंधित राजस्व	

Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज **<u>निगरानी./एल.आर./4960/2005/भरतपुर</u>** **<u>रोशन बनाम सरकार</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधिकारियों/कर्मचारियों की है। प्रार्थी इसमें किसी प्रकार से दोषी नहीं है। भू राजस्व अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसरण में नामान्तरकरण दर्ज करने की कोई मियाद सीमा भी नहीं है। नामान्तरकरण वित्तीय कार्यवाही है, अतः प्रार्थी के पक्ष में नामान्तरकरण तस्दीक नहीं करना अनियमितता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अविधिक रूप से निर्णय पारित किये है, जिन्हें निरस्त किया जावे और निगरानी स्वीकार कर तहसीलदार, डीग को निर्देशित किया जावे कि प्रार्थी के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृति की कार्यवाही की जावे। योग्य राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि राजकीय चारागाह भूमि है और उक्त भूमि चारागाह होने से आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित आराजियात की श्रेणी में आती है। चारागाह आराजी होने से ही प्रार्थी के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। अतः निगरानी के माध्यम से इसमें फेरबदल उचित नहीं है। निगरानी खारिज की जावे। हमने उभय पक्षीय योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित आदेश व अन्य अभिलेख का अध्ययन व मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि जिलाधीश, भरतपुर के आदेश दिनांक 25-7-1972 के द्वारा ग्राम गिरसे, तहसील डीग की आराजी खसरा नम्बर 1 मिन रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा का नियमन प्रार्थी रोशन पुत्र किशोरी के पक्ष में किया गया। मुताबिक उपखण्ड अधिकारी, डीग निर्णय दिनांक 30-4-1986 अपीलांट के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 8 बाबत हिस्सा 72/913 खसरा नं0 43/9.13 के लिए दर्ज कर तहसीलदार, डीग के समक्ष पेश हुआ। दिनांक 01-6-1989 को इस नामांतरकरण पर तहसीलदार द्वारा अंकित किया गया कि "राजस्व कैम्प शीशवाडा में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न निर्णय के आधार पर आदेश क्रमांक 95 दिनांक 1-6-89 के सम्बन्ध में निवेदन है कि उक्त निर्णय स्थाई निषेधाज्ञा के बाबत् है। उक्त निर्णय के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाही गई स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री दी गई है। प्रार्थी द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा चाहने बाबत् किया है। अतः चरागाह भूमि पर खातेदारी उक्त निर्णय के आधार पर दिया	

1 तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज **<u>निगरानी./एल.आर./4960/2005/भरतपुर</u>** **<u>रोशन बनाम सरकार</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जाना गलत है। प्रार्थी को सिवाय चक पुख्ता भी आवंटन हो चुका है, अतः चरागाह पर खातेदारी दिया जाना निरस्त योग्य है।" उपरोक्त विवेचन के अनुसार सुस्पष्ट है कि प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 25-7-1972 को प्रश्नगत भूमि का नियमन करने का आदेश दिया गया था किन्तु इस नियमन के आधार पर नामांतरकरण हेतु प्रार्थी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की है। यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि इतने लम्बे समय नामांतरकरण हेतु कार्यवाही नहीं करने के कारण क्या रहे हैं। काफी विलम्ब से उपखण्ड अधिकारी के निर्णय के आधार पर दिनांक 1-6-1989 को नामांतरकरण संख्या 8 खोला गया है किन्तु प्रश्नगत भूमि चरागाह भूमि होने से तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 1-6-1989 से नामांतरकरण को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। स्पष्ट है कि नामांतरकरण संख्या 8 उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 1-6-1989 के आधार पर भरा गया है किन्तु साथ ही यह भी सही है कि उपखण्ड अधिकारी का निर्णय धारा 188 के वाद में पारित किया गया है और धारा 188 के वाद में पारित निर्णय के आधार पर खातेदारी का नामांतरकरण स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। खातेदारी घोषणा के लिये वादी को अधिनियम, 1955 की धारा 88 के तहत उद्घोषणा का वाद लाना चाहिए था। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में प्रार्थी को उद्घोषणा का वाद लाने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की जा चुकी है। अतः उपरोक्त विवेचन व तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में हम पाते हैं कि अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णय तथ्यों व रिकार्ड पर आधारित हैं और समवर्ती निर्णय हैं। समवर्ती निर्णयों में निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने के कोई आधार हमें नजर नहीं आते हैं। फलतः निगरानी सारहीन होने से **खारिज** की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(महावीर सिंह)** **सदस्य**	